कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। केन्द्र व्यवस्थापकों, बाह्य केन्द्र व्यवस्थापकों, प्रयोगात्मक परीक्षकों, कक्ष निरीक्षकों तथा मूल्यांकन परीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु सभी प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों का अद्यतन विवरण परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दिया जाए।

उक्त के साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों के विवरणों की एक बार पुनः पूर्ण सतर्कता एवं गहनता से जाँच कर ली जाए। विशेष रूप से शिक्षकों का नाम, पदनाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, मोबाइल नम्बर, शैक्षिक अर्हता तथा हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट में जिस विषय के अध्यापन हेतु उनकी नियुक्ति की गयी है, उस विषय का नाम एवं कोड की सावधानीपूर्वक पुष्टि कर ली जाए। जिससे किसी भी शिक्षक की गलत विषय में परीक्षक के रूप में नियुक्ति न होने पाए तथा कोई अनर्ह शिक्षक परीक्षक के रूप में चयनित न हो सके। यह भी ध्यान रखा जाय कि किसी भी दशा में एक शिक्षक का विवरण एक से अधिक विद्यालयों से अग्रसारित न होने पाये।

यदि प्रधानाचार्यों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचनाओं के आधार पर कोई अनर्ह/अयोग्य शिक्षक परीक्षक नियुक्त हो जाता है, तो इसके लिए संबंधित प्रधानाचार्य उत्तरदायी माने जाएंगे।

विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विवरणों को अपलोड/अपडेट करने हेतु परिषद की वेबसाइट दिनांक 15–12–2025 तक क्रियाशील रहेगी।

4/12/2025
(भगवती सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/1005 (1-3) दिनांक : 04-12-2025

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतः इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(2) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) शिक्षा निदेशक (मा०) एवं सभापति, मा०शि०प०, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

(4) अपर शिक्षा निदेशक (मा०), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(5) अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(6) संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

(7) उप शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

(8) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें तथा इसका सतत् अनुश्रवण करते रहें।

(9) जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण पूर्ण शुद्धता के साथ वेबसाइट पर अपलोड/अपडेट करायें तथा इस डेटा का अपने पोर्टल के माध्यम से परीक्षण एवं सत्यापन अवश्य कर लें।

4/12/2025

(भगवती सिंह)

सचिव